भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4668
दिनांक 20 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी केंद्र और स्वयं सहायता समूह

4668. श्री दर्शन सिंह चौधरी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देशभर में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वयं सहायता समूहों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में जागरुकता बढ़ाने के लिए उक्त आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कार्यान्वित मानकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने डिजिटल उपकरणों, निगरानी तंत्र, विशिष्ट प्रशिक्षण सामग्री और संसाधन सहायता के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों और स्वयं सहायता समूहों की दक्षता बढ़ाने के लिए कोई पहल शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर, स्वास्थ्य जागरुकता और सामाजिक भागीदारी में मापने योग्य सुधार हुए हैं, और यदि हां, तो उनके मात्रात्मक डेटा या केस स्टडी का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार का उक्त केंद्रों और समूहों के माध्यम से गुणवत्ता मानकों, प्रशिक्षण, वित्तीय सशक्तिकरण और सामुदायिक भागीदारी को और अधिक सुदृढ़ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, देश भर में 14.03 लाख आंगनवाड़ी केंद्र कार्यशील हैं, जो लगभग 8.98 करोड़ पंजीकृत लाभार्थियों को आंगनवाड़ी सेवाएं, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (ईसीसीई), बच्चों के विकास और वृद्धि के बारे में जागरूकता और पूरक पोषण के लाभों से अवगत कराते हैं। दिव्यांगों सहित सभी बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में इष्टतम अधिगम सुनिश्चित करने के लिए, दो पाठ्यक्रम रूपरेखाएँ - "नवचेतना - जन्म से तीन वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा, 2024" और "आधारशिला - तीन से छह वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, 2024", तैयार की गई हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आंगनवाड़ी केंद्रों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और लाभार्थियों की सभी गतिविधियों की परिभाषित संकेतकों पर आधारित लगभग तत्समय (रीयल टाईम) निगरानी और ट्रैकिंग के लिए 'पोषण ट्रैकर' के नामक डिजिटल एप्लिकेशन आरंभ किया है। पोषण स्तरों में मापनीय सुधारों का विवरण पोषण ट्रैकर पब्लिक डैशबोर्ड https://www.poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध है। यह एप्लिकेशन जन्म की तैयारी, बच्चे के जन्म, प्रसवोत्तर देखरेख, स्तनपान और पूरक आहार से संबंधित संदेशों को प्रसारित करने में मदद करने वाले प्रमुख व्यवहारों और सेवाओं पर परामर्श वीडियो भी प्रदान करता है। पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के उपयोग के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों हेतु नियमित रूप से बुनियादी स्तर के प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

इसके अलावा मिशन पोषण 2.0 के तहत, एक व्यापक प्रशिक्षण मॉडल, पोषण भी पढ़ाई भी (पीबीपीबी) को संस्थागत बनाया गया है। इस पहल के तहत, आंगनवाड़ी प्रणाली के माध्यम से जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान (एसपीएनआईडब्ल्यूसीडी) द्वारा राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स (एसएलएमटी) को प्रशिक्षित किया जाता है। ये मास्टर ट्रेनर, बदले में, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को बुनियादी स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर और एकसमान क्षमता निर्माण सुनिश्चित होता है। दिनांक 16 मार्च 2026 तक, प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले चरण के तहत कुल 41,645 एसएलएमटी और 10,35,949 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को तथा दूसरे चरण के तहत 3,641 एसएलएमटी को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत की जाने वाली अन्य प्रमुख गतिविधियों में सामुदायिक जुटाव और जागरूकता एडवोकेसी शामिल हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं

के बारे में जागरूक करना है, क्योंकि पोषण की अच्छी आदतों को अपनाने के लिए व्यवहारिक परिवर्तन हेतु निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल महीनों में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान जन आंदोलन के तहत जागरूकता गतिविधियों का नियमित रूप से संचालन कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट दे रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में आयोजित सामुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) पोषण संबंधी पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम करते हैं और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को हर महीने दो सामुदाय आधारित कार्यक्रम आयोजित करना अनिवार्य है। देश में वर्ष 2018 से लेकर अब तक 15 जन आंदोलनों के माध्यम से 150 करोड़ से अधिक जन आंदोलन गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं। साथ ही, सामुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) पोषण संबंधी पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम करते हैं। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रति माह दो सीबीई आयोजित करना अनिवार्य है। वर्ष 2018 से फरवरी 2026 तक कुल 9.8 करोड़ सीबीई आयोजित किए जा चुके हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पूरक पोषण की प्रदायगी में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन, कर्तव्य धारकों की भूमिका और जिम्मेदारियों, खरीद प्रक्रियाओं, आयुष अवधारणाओं के एकीकरण और पोषण ट्रैकर के माध्यम से आंकड़ों के प्रबंधन और निगरानी पर सुव्यवस्थित दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इसके अलावा, नीति आयोग द्वारा मिशन पोषण 2.0 के लिए वर्ष 2020 और 2025 में किए गए पोषण अभियान के तृतीय-पक्ष मूल्यांकन और प्रभाव आकलन में देश में कुपोषण से निपटने के लिए इसकी प्रासंगिकता संतोषजनक पाई गई है।

डे-एनआरएलएम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सामूहिक रूप से संगठित करना है ताकि वे बचत को प्रोत्साहित कर सकें और आजीविका के अनेक अवसर अपनाकर घरेलू आय बढ़ाकर इससे ग्रामीण गरीबी को कम कर सकें। इस प्रकार, एसएचजी बच्चों के कल्याण के लिए सीधे तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। देश में 34 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) में 90.91 लाख एसएचजी हैं।

एसएचजी की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय, डे-एनआरएलएम के तहत, एसएचजी के परिवारों के बीच पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जागरूकता गतिविधियाँ चला रहा है। इसके लिए समूह बैठकें, समुदाय आधारित कार्यक्रम और जन स्वास्थ्य, पोषण तथा स्वच्छता सेवाओं के लिए जुटाव किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य

स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को कम करना और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। संबंधित मंत्रालयों द्वारा जारी प्रशिक्षण सामग्री को एसएचजी के संदर्भ में अपनाया गया है और समूह बैठकों में चर्चा के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। एसएचजी नेटवर्क विभिन्न राष्ट्रीय पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता अभियानों में भी सहयोग कर रहा है। मेजबान मंत्रालय द्वारा साझा की गई आईईसी सामग्री एसएचजी को वितरित की जाती है। इसके अलावा, शिक्षण सामग्री तक आसान पहुंच के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण तंत्र और प्रगति का पता लगाने के लिए एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली तैयार करने की योजना है।

एसएचजी के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय एसएचजी की महिलाओं के वित्तीय सशक्तीकरण के लिए 'लखपति' पहल, बैंक लिंकेज और सामुदायिक निधियों पर ध्यान दे रहा है। पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता के लिए, गुणवत्ता मानकों को सुदृढ़ करने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन शिक्षण और निगरानी प्रणालियों की योजना बनाई जा रही है।
